

मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

ई मेल

(13)

26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान भवन भोपाल
/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/2171

भोपाल, दिनांक 6/9/12

कलेक्टर

जिला.....(समर्त)
(मोप्र०)

एय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 का संशोधन बाबत।

-00-

मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र कमांक बी-6 / नियमन / विविध / 578 दिनांक 27.09.08 द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रचलित है। कार्यालयीन देश कमांक / बोर्ड / योजना / गै.त. / मृ.कृ.जी.क.यो / 1146 दिनांक 14.01.11 द्वारा भी उक्त योजना में आंशिक संशोधन किया गया है।

दिनांक 15 जुलाई 2012 को भोपाल में आयोजित अटल किसान महापंचायत में ननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषकों को दुघटना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000/- (पचास जार) के रथान पर रूपये 1,00,000(एक लाख) की सहायता प्रदान की जायेगी की घोषणा गई थी, जिसके क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अन्तर्गत मृत्यु होने पर योजना की अंडिका 4(1) अनुसार रूपये 50,000/- के स्थान पर राशि रूपये 1.00 लाख स्वीकृत की गयी। योजना की शेष शर्तें पूर्व में जारी किये गये पत्रानुसार रहेंगी। उक्त आर्थिक सहायता की पात्रता, पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

कृपया आपसे अनुरोध है कि संशोधित राशि का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार कियान्वयन संनिश्चित करें।

Al
(अजातशत्रु औदास्तव)

प्रबंध सचालक

मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

माक / बोर्ड / योजना / गै.त. / मृ.कृ.जी.क.यो / 2172 से 2175 भोपाल, दिनांक 6/9/12
तिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सहायक मान० मंत्रीजी, किसान कल्याण काम अधि. विकास विभाग, मो प्र० शासन, भोपाल।

प्रमुख सचिव, मो प्र० शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

श्री जे.सी. भट्ट उप सचिव, मान० मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

संयुक्त सचालक / उपसचालक, मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचंलिक कार्यालय समर्त (मोप्र०)

Al
प्रबंध सचालक

मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

U.P. कृषि विपणन बोर्ड
कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल